घरेलू हिंसा कानून एक समीक्षात्मक अध्ययन

संस्कृति विद्यापीठ

के

स्त्री अध्ययन विभाग में एम.फिल. स्त्री अध्ययन की उपाधि हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध

सत्र : 2013-14

शोध-निर्देशक

अवंतिका शुक्ला

सहायक प्रोफेसर

स्त्री अध्ययन विभाग

प्रस्तुतकर्ता

अंशुमाला कुमारी

एम. फिल. स्त्री अध्ययन

पंजी. सं. 2013/03/212/011

स्त्री अध्ययन विभाग

संस्कृति विद्यापीठ

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442 001 (महाराष्ट्र), भारत

अनुक्रमणिका

आभार **1**

भूमिका **2-3**

अध्याय-एक **4-60**

घरेलू हिंसा कानून एक समीक्षात्मक अध्ययन

1.1 हिंसा, घरेलू हिंसा, कारण, प्रकार, परिभाषा

1.2 घरेलू हिंसा कानून का उद्भव एवं विकास

1.3 घरेलू हिंसा कानून की आवश्यकता

1.4 कानून, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

अध्याय-दो **61-85**

वर्धा शहर में घरेलू हिंसा कानून के विषय में लोगों की जागरूकता: सर्वे

अध्याय-तीन **86-111**

वर्धा शहर की घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं की केस स्टडी के द्वारा पड़ताल

3.1 सामाजिक प्रभाव

3.2 आर्थिक प्रभाव

3.3 मानसिक प्रभाव

अध्याय –चार **112-130**

घरेलू हिंसा से निवारण में सरकारी एंव गैर सरकारी संगठन की भूमिका

4.1 सरकारी संगठन

4.2 गैर सरकारी संगठन

उपसंहार **131-135**

संदर्भ-ग्रंथ सूची **136-139**

परिशिष्ट **140-167**

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषित करती हूँ कि प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध जिसका शीर्षक **'"घरेलू हिंसा कानून एक समीक्षात्मक अध्ययन"'** है, यह मेरे द्वारा किया गया मौलिक कार्य है। मेरे संज्ञान में अभी तक इस शीर्षक से कोई शोध कार्य अन्य किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रस्तुत या प्रकाशित नहीं हुआ है।

शोधार्थी

(अंशुमाला कुमारी)
एम.फिल. स्त्री अध्ययन
पंजी. सं. 2013/03/212/011

दिनांक: अप्रैल, 2014
स्थान: वर्धा

भूमिका

घरेलू हिंसा कानून एक ऐसा कानून है जो घर-परिवार के अंदर होने वाले हिंसा से मुक्ति दिलाता है परिवार के अंतर्गत कोई भी हिंसा चाहे वह शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हिंसा हो वह घरेलू हिंसा के दायरे में आती है।

सन् 1947 में आजादी के साथ ही भारत में महिलाओं को नागरिक का दर्जा दिया गया। संविधान में तो कोई भेदभाव नहीं। स्त्री-पुरुष समान हैं। परंतु सामाजिक स्तर पर स्त्री को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। घरेलू हिंसा एक ऐसी विकराल समस्या है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत गंभीरता से लिया गया है। घरेलू हिंसा की शिकार ज्यादातर महिलाएँ होती हैं। जिसके चार प्रमुख कारण होते हैं। पुत्र की प्राथमिकता, स्कूली शिक्ष्ज्ञा तक महिलाओं को न देना, देहज, मृत्यु तथा पितृसत्तात्मक मानसिकता। घरेलू हिंसा कानून से पहले जो भी कानून हो वह पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के थे। रतना कपूर तथा उनके सहयोगियों ने स्त्री संरक्षण अधिनियम का गहन अध्ययन किया। अपनी पुस्तक 'सबवर्सिस राइट्स' में संविधान में दिया गया समता का औपचारिक दृष्टिकोण लिंग संबंधी मित्रता से प्रभावित है। सर्वप्रथम घरेलू हिंसा घर के भीतर खिड़की दरवाजे बंद करके होते थे। ऐसी छुपी हुई हिंसा में गवाह जुटा पाना मुश्किल होता था। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 498 (अ) तथा 304 (ब) में दहेज निरोधक कानून के तहत संशोधन किया गया। संशोधन के बाद पारिवारिक हिंसा संबंधी मामले498 (अ) में डाल दिए गए। इस प्रावधान के तहत स्त्री को पुरुष की संपत्ति के तहत लिया जाता है। परंतु 'घरेलू, हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम' में पहल बार भारत के विधि इतिहास में यह ऐसा कानून बना जिसमें पारिवारिक हिंसा होने पर महिला को अपने जीवनकाल में पारिवारिक संपत्ति का उपभोग करने एवं जीवन निर्वाह प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। घरेलू हिंसा एक ऐसा अपराध है, जो हर वर्ग, जाति और धर्म में होता है। 98 प्रतिशत साक्षरता वाले राष्ट्र अमेरिका की औरतों को भी आम भारतीय औरतों की तरह घरेलू हिंसा का जबरदस्त शिकार बनाया जाता है।

हिंदू विवाह अधिनियम बनने से पहले भारतीय स्त्री के लिए तलाक की बात सोचना तक कठिन था उसी प्रकार घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम बनने से घरेलू हिंसा जैसे हिंसा के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च आन वूनेन (आईसीआरए) द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि अभी भी महिलाएँ पारिवारिक हिंसा की शिकार होती हैं।

घरेलू हिंसा कानून 2005 में बना है और 2006 से पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम का संक्षिपत नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। परंतु महाराष्ट्र के वर्धा शहर में यह कानून कितना कामयाब है। इसके बारे में हमें अपने शोध में समीक्षा करना है। महाराष्ट्र राज्य तक विकसित राज्य के श्रेणी में आता है। वर्धा विदर्भ क्षेत्र है। विदर्भ थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है अन्य क्षेत्रों से फिर भी यहां दूसरे राज्यों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति बेहतर दिखाई देती है। महाराष्ट्र में कई समाज सुधार आंदोलन हुए। भारतीय भूमि पर अनेक समाज सुधारक हुए परंतु डॉ बाबा साहेब आंडेडकर ने दलित तथा स्त्रियों के लिए जो अनमोल काम किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंबेडकर महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने दलित तथा स्त्रियों को समाज में एक जगह दी।

भारतीय नारीवाद की नींव महाराष्ट्र को ही माना जाता है। क्योंकि कई विदुषियों ने स्त्रियों के सुधार के लिए प्रयत्न किया जिसमें महाराष्ट्र की नारीवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सावित्री बाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले ने दलितों और स्त्रियों को नयी जागृति दी।

महाराष्ट्र की भूमि पर कई आंदोलन हुए जिसमें महिलाएँ सक्रिय रही आज बलात्कार के लिए जो इतना सशक्त कानून बना है वह भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। मथुरा रेप केस केंद्र बिंदु था जिसको लेकर नारीवादियों ने कानून बनाने के लिए मजबूर किया। मथुरा एक महाराष्ट्रीयन युवती थी। मथुरा चंद्रपुर की थी। इसी केस को लेकर महिला आंदोलन विशेष रूप से सक्रिय हुई। महिला आंदोलन को बलात्कार केस में एक नई दिशा मिली। वर्धा शहर में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन भी काम करते हैं।